प्रकरण संख्या 5/2016 देवा बनाम श्रीमती बिजूडी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के एकमात्र कब्जे काश्त का खाता संख्या 57 की आराजी नंबर 305, 308, 370, 373, 374, 610, 611, 613, 614, 615, 617, 733/529, 734/602, 304 कुल किता 14 रकबा 55 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम डेरी में स्थित है, जिस पर वादिया का कब्जा होकर काश्त कर रही है। पूर्व में वादिया के दादा बदिया वल्द दलजी उक्त आराजियात के एक मात्र खातेदार थे। बदिया की मृत्यु के बाद बदिया की पत्नी प्यारी के नाम भूमि दर्ज करना था, किन्तु राजस्व कर्मियों ने नामान्तरकरण संख्या 137 में अवैध रूप से बदिया के भाई रकमा, देवा व उंकारिया का नाम जोड़ दिया, जो विधि अनुकूल नहीं है एवं रकमा, देवा व उंकारिया की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण का नाम जोड़ दिया गया, जो विधि विपरीत होकर निरस्त होने से वादिया ने रकमा व देवा के वारिसान द्वितीया, मांगीलाल, लक्ष्मण, दीपचन्द, कांतिलाल, मोहनलाल, बद्रीलाल की सरपस्त माता जोखा उक्त खाता जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 23.10.2009 को रिलीज कर दिया, जो नामान्तरकरण संख 673 दिनांक 26.11.2009 को वादिया बिजुडी के नाम 3/4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त खाते में कोई हक, हित, हिस्सा व कब्जा नहीं होने पर भी वादिया के नाम अपना खाता नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आराजियात का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि विवादित आराजियात उनकी पैत्रृक होकर हमारे पिता उंकारिया का नाम दर्ज है व उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है [illegible] वादिया का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.20[illegible] से वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.12.2015 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपने परिवार सहित मौके पर आये और झगड़ा कर कहने लगे कि पूरा खाता हमारे खाते हो गया है, तुम्हारा नाम खाते में नहीं है इसलिए यहां से हट जाओ। तब उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपल प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है, जबकि वादिया का उक्त खाते में कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं बनता है। उक्त समस्त आराजियात पर कब्जा अपीलान्टगण का अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। उक्त भूमि दलजी के चार पुत्रों बदिया, रकमा, देवा व उंकारिया ने मिलकर नोतोड़ निकाली एवं चारों मिलकर कमाने लगे, किन्तु खाता अकेले बदिया के नाम दर्ज रहा एवं बदिया के मरने के बाद विधि अनुसार जांच कर नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 31.07.1975 से प्यारी बेवा बदिया, उंकरिया पिता दलजी, द्वितीया पिता रकमा, नागजी हेमजी, धारजी, नाकूड़ा पिता देवा के नाम मौके की स्थिति अनुसार दर्ज किये गये, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 137 से दर्ज प्यारी बेवा बदिया के फोत होने पर नामान्तरकरण संख्या 294 खोलते समय प्यारी बेवा बदिया के स्थान पर फर्जी नाम नागरी (राधी) बेवा बदिया को फोत होना बताकर राजस्व कर्मियों से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादिया, खातेदार बदिया एवं प्यारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 5/2016 देवा बनाम श्रीमती बिजूडी

की संतान ही नहीं है एवं बदिया की नागरी नामक महिला पत्नी भी नहीं रही है, राजस्व अभिलेखों में नागरी को फर्जी तरीके से बदिया की पत्नी के रूप में जोड़ा गया है। नामान्तरकरण संख्या 673 द्वारा फर्जी तरीके से वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके वादिया का वाद डिक्री किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा उसकी पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 746 दिनांक 09.04.2015 भी निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियां कायम की गयी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन नहीं किया है तथा वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनकर उनका वाद डिक्री कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर